न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —15/2021(2021/00025)

अनवान : —

1. पवन कुमार पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. भीमसिंह पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रायसिंह पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
3. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादीगण**
श्री सुरजीत बिजारणियां **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 03/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 26/2 के मुरब्बा न0 32 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, मु0 न0 43 के किला न0 1 ता 17, मु0 न0 44 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 40 की 10.120 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 200 हिस्सा, इसी प्रकार 7 एसडीआर के खाता संख्या 37/36 के मु0 न0 45 के किला न0 1, 9 ता 12, 19 ता 24, मु0 न0 46 के किला न0 5/1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला न0 6, 7 इस प्रकार कुल किता 34 की कुल 8.476 हैक्टेयर [illegible] खाला व रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार [illegible] खाता संख्या 7/7 के मु0 न0 3 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता [illegible] की कुल 2.277 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 1/2 हिस्सा [illegible]स्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:43 IST
Reason: Self Attested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योनन्द की खातेदारी हुआ करती थी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

श्योनन्द से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी रायसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रायसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रायसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह को वादी के दादा श्योनन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 3 बारानी सम्वत 2035–38 के खाता संख्या 21, खतौनी जमाबन्दी चक 9 एसडीआर सम्वत 2042 खाता संख्या 7/6 एवं जमाबन्दी खतौनी चक 7 एसडीआर सम्वत 2049 के खाता संख्या 8/8 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादीगण की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी पवन कुमार पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 बारानी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 7/7 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 3 बारानी सम्वत 2035–38 खाता संख्या 21 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 9 एसडीआर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 26/2 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 9 एसडीआर सम्वत 2042 खाता संख्या 7/6 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत चिड़ियागांधी द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 26/2 के मुरब्बा न0 32 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, मु0 न0 43 के किला न0 1 ता 17, मु0 न0 44 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल [illegible] की 10.120 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम [illegible] एसडीआर के खाता संख्या 37/36 के मु0 न0 45 के किला न0 [illegible] मु0 न0 46 के किला न0 5/1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला न0 6, 7 इस प्रकार कुल [illegible] ता 34 की कुल 8.476 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 3 बारानी के खाता संख्या 7/7 के मु0 न0 3 किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.277 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 1/2 हिस्सा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 26/2 के मुरब्बा न0 32 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, मु0 न0 43 के किला न0 1 ता 17, मु0 न0 44 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 इस प्रकार कुल किता 40 की कुल 10.120 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 200 हिस्सा में से वादीगण को संयुक्त रूप से 150 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह को 50 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 37/36 के मु0 न0 45 के किला न0 1, 9 ता 12, 19 ता 24, मु0 न0 46 के किला न0 5/1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला न0 6, 7 इस प्रकार कुल किता 34 की कुल 8.476 हैक्टेयर नहरी मय खाला व रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 1/2 हिस्सा में से वादीगण को संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह को 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी प्रकार चक 3 बारानी के खाता संख्या 7/7 के मु0 न0 3 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 2.277 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम 1/2 हिस्सा में से वादीगण को संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह को 1/8 हिस्सा के खातेदार कश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़